बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र02 / निगम विविध–10 / 13(खंड–1)– / पटना, दिनांक–

प्रेषक,

सुधा गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– **बिहार राज्य जल विद्युत निगम के अंतर्गत 12 निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 09 परियोजनाओं (तेजपुरा, डेहरा, सिपहा, वलिदाद, पहरमा, मथौली, राजापुर, अमेठी एवं डेहरी स्केप) के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 166.81 करोड़ (एक सौ छियासठ करोड़ इक्यासी लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2025–26 में 4.80 करोड़ (चार करोड़ अस्सी लाख) रूपये बिहार राज्य जल विद्युत निगम को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–5351 दिनांक–14.11.2025 के आलोक में बिहार राज्य जल विद्युत निगम के अंतर्गत 12 निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 09 परियोजनाओं (तेजपुरा, डेहरा, सिपहा, वलिदाद, पहरमा, मथौली, राजापुर, अमेठी एवं डेहरी स्केप) के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 166.81 करोड़ (एक सौ छियासठ करोड़ इक्यासी लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2025–26 में 4.80 करोड़ (चार करोड़ अस्सी लाख) रूपये बिहार राज्य जल विद्युत निगम को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. उक्त राशि की मांग सं0–10, मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–201–पन बिजली उत्पादन, उपशीर्ष–0101–बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण, विपत्र कोड–10–6801002010101 विषय शीर्ष–55.01–ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :–

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्त्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
15,00,00,000.00	4,95,00,000.00	4,80,00,000.00	9,75,00,000.00	5,25,00,000.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि इस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।

5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित इकाई के कोड संख्या का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिन्हित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण–पत्र भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष–8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0024–बिहार स्टेट हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, व्यय शीर्ष–L8448001200024 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200024 में जमा की जाएगी।

7. बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गये CFMS खाता संख्या–PTSPLA010 से की जाएगी।

8. उक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(सुधा गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र02/निगम विविध–10/13(खंड–1)– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र02/निगम विविध–10/13(खंड–1)– 151 /पटना, दिनांक– 18.XI.2025

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.11.25
सरकार के संयुक्त सचिव।